न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बेरीसाल सिंह बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 131, 136 LR मु.नं. 594 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
24/12/25	प्रार्थी बेरीसाल सिंह पुत्र कुबेरदान जाति चारण निवासी ग्राम दीपपुरा चारणान तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक ग्राम रकबा व तरमीम शुद्धि करने बाबत के अनुसार "वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा सं. 2130/208 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, खसरा सं. 2790/1921 रकबा 1.1160 हेक्टेयर, खसरा सं. 2802/1625 रकबा 2.5900 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान का रकबा व तरमीम सही नहीं है। अतः खसरा सं. 2130/208 रकबा 0.0800 हेक्टेयर की आकृति को हजफ किया जाकर इसके रकबे को खसरा सं. 0.0800 हेक्टेयर को खसरा सं. 2802/1625 के रकबा 2.5900 हेक्टेयर को बढाकर रकबा 2.6200 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 2790/1921 के रकबा 1.1160 हेक्टेयर को बढाकर रकबा 1.1660 हेक्टेयर किया जावें।"

उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1277 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन कर तहसीलदार, धोद को पुनः सुस्पष्ट रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जिसकी पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2217 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा पुनः अभिशंषित रिपोर्ट पेश हुई। उक्त का अवलोकन किया गया, जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।

अतः तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित खसरा सं. 2130/208 रकबा 0.0800 हेक्टेयर की आकृति को हजफ किया जाकर इसके रकबे को (1) खसरा सं. 0.0800 हेक्टेयर को खसरा सं. 2802/1625 के रकबा 2.5900 हेक्टेयर को बढाकर रकबा 2.6200 हेक्टेयर (वृद्धि 0.03000 हेक्टेयर) तथा खसरा सं. 2790/1921 के रकबा 1.1160 हेक्टेयर को बढाकर रकबा 1.1660 हेक्टेयर (वृद्धि 0.05000 हेक्टेयर) उक्तानुसार रकबा व तरमीम संशोधित/दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त संशोधन/दुरूस्ती वर्तमान लट्ठा शीट, राजस्व रिकॉर्ड व ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे में किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमियों के अलावा अन्य किसी के खसरे व रकबे में संशोधन नहीं हो। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1277 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2217 दिनांक 15.12.2025 के द्वारा प्राप्त अभिशंषित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.29 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
धोद, जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर